राजस्थान सरकार
विधि (वादकरण) विभाग

क्रमांक–प.3 (991) वादकरण/प्र–4/ जयपुर, दिनांकः 1-3-2021

::परिपत्र::

1. शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ...।
2. जिला मजिस्ट्रेट, ...।
3. लोक/अपर/विशिष्ठ लोक अभियोजक, ...।

विषय–विधि विभाग को अपील/नो अपील के विनिश्चय हेतु आपराधिक प्रकरणों की पत्रावलियों में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अपील समयावधि की समाप्ति के 45 दिन पूर्व भिजवाने बाबत।

प्रायः यह देखने में आया है कि प्रशासनिक विभाग/जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधिक प्रकरणों में अपील/नो अपील, रिवीजन/नो रिवीजन, याचिका दायर करने के विनिश्चय हेतु पत्रावलियां बिना समस्त आवश्यक/सुसंगत दस्तावेजों के अत्यधिक विलम्ब से भिजवाई जाती है। अपूर्ण अभियोजन पत्रावलियों के कारण प्रकरणों के समयावधि में परीक्षण किये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं प्रकरणों का समुचित परीक्षण भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण राज्यहित पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

आपराधिक मामलों की पत्रावलियां सम्पूर्ण अभिलेखों सहित समयावधि के भीतर भिजवाने एवं विचारण के दौरान राज्य की ओर से समुचित पक्ष प्रस्तुत किये जाने सम्बंधी दिशा निर्देश जारी करते हुए विधि विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प.3 (991) वादकरण/प्र–4/2014/जयपुर दिनांक 04.12.2014 एवं 12.01.15 तथा प.3 (विविध) विधि/प्र–4/2014/जयपुर दिनांक 21.11.2014 जारी किये जाने के बावजूद भी आपराधिक मामलों की पत्रावलियां सम्पूर्ण अभिलेखों सहित समयावधि के भीतर विधि विभाग को नहीं भेजी जा रही है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने डी.बी.क्रिमिनल लीव टू अपील संख्या 237/2014 राजस्थान राज्य बनाम महिपाल सिंह व अन्य के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 31.03.2015 में राज्य पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष अपील आदि विलम्ब से दायर किये जाने को गम्भीरता से लिया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी हाल ही में SLP (C) डायरी नं. 9217/2020 (In IA नं. 62372/2020) मध्य प्रदेश राज्य बनाम भैरू लाल में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2020 में राज्य सरकारों द्वारा विलम्ब से अपील आदि दायर किये जाने को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश राज्य पर 25 हजार रूपये की कॉस्ट अभिनिर्धारित करते हुए कॉस्ट की राशि विलम्ब कारित करने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों से वसूल करने के निर्देश दिये है।

कृ0पृ0उ0

अतः आपराधिक प्रकरणों की पत्रावलियां लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक /विशिष्ठ लोक अभियोजक कार्यालय से प्राप्त होने के पश्चात तत्काल अपील अवधि की समाप्ति से कम से कम 45 दिन पूर्व सुसंगत दस्तावेजों को निम्नांकित क्रम में संलग्न कर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें–

1. जिला मजिस्ट्रेट की अभिशंषा एवं लोक अभियोजक की सकारण स्पष्ट राय।
2. विशिष्ठ अधिनियम यथा–खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, पीसीपीएनडीटी एक्ट, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, खान एवं खनिज (विनियम एवं विकास) अधिनियम आदि के अंतर्गत परिवाद पर संस्थित किये गये प्रकरणों में निर्णय की प्रमाणित प्रति एवं सम्बंधित प्रशासनिक विभाग के सुसंगत नियमों/अधिनियमों की प्रति सहित विभागीय तथ्यात्मक/विधिक आधारों का वर्णन करते हुए अपील/नो अपील के सम्बंध में स्पष्ट अभिशंषा
3. निर्णय की पूर्ण पठनीय प्रमाणित प्रति एवं एक छाया प्रति।
4. अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के बयानों की पूर्ण पठनीय प्रति।
5. अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शों (Exhibits) की पूर्ण पठनीय प्रति।
6. न्यायालय द्वारा विरचित आरोप आदेश की प्रति।
7. धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त के लेखबद्ध किये गये कथनों की प्रति।
8. आरोप पत्र समस्त दस्तावेजों सहित यथा–प्रथम सूचना रिपोर्ट, सूची गवाहन, धारा 161 एवं 164 दं.प्र.सं. के बयान, चिकित्सकीय/एफ.एस.एल/अन्य सुसंगत रिपोर्ट।
9. यदि किसी प्रकरण में सह अभियुक्त के सम्बंध में पूर्व में निर्णय हो चुका हो तो निर्णय की प्रति सहित निर्णय के सम्बंध में की गई कार्यवाही/अपील–नो अपील के विनिश्चय की सूचना।

उपरोक्त 1 लगायत 9 दस्तावेज पत्रावली में संलग्न कर अविलम्ब अपील की समयावधि समाप्ति की तिथि से कम से कम 45 दिवस पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरणों में बाद परीक्षण समयावधि में अग्रिम विनिश्चय लिया जा सके। अभियोजन पत्रावली विलम्ब से एवं उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के बिना अपूर्ण भिजवाये जाने पर अग्रिम विनिश्चय/कार्यवाही में होने वाले विलम्ब के कारण कारित प्रतिकूल प्रभाव के लिए सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होंगे।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था करावें।

01/3/2017

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव